समाहरणालय, गया

(जिला पंचायत राज कार्यालय)

पत्रांक - ________ / पंचा०

दिनांक ________ फरवरी 2020

फोन नं० :– 0631–2222800, 2222900

फैक्स नं० :– 0631–2223561, 2222100

ई–मेल :– dm-gaya.bih@nic.in

कार्यालय आदेश

प्रधान सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार पटना के संकल्प संख्या–4046 / पं0रा0, दिनांक 25.07.2018, पत्रांक 7150 / पं0रा0, दिनांक 20.12.2018 एवं संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण), पंचायती राज विभाग का पत्रांक 6073 / पं0रा0, दिनांक 23.09.2019 से प्राप्त निदेश के आलोक में जिला चयन समिति की दिनांक 31.01.2020 को आयोजित बैठक की कार्यवाही, जो कार्यालय ज्ञापांक– 01 / मु0 / पंचा0, दिनांक 31.01.2020 से संसूचित है, में लिये गये निर्णय के आधार पर लेखापाल–सह–आई0टी0 सहायक के लिए निर्धारित मानदेय राशि मो0 20,000.00 (बीस हजार) रूपये मात्र प्रतिमाह की दर से दिनांक 31 मार्च 2020 तक के लिए संविदा के आधार पर निम्नांकित अभ्यर्थियों को नियोजन पत्र में वर्णित शर्त्तों पर नियोजित किया जाता है:–

क्र0	Application ID	अभ्यर्थी का नाम	पिता / पति का नाम	स्थायी पता	जन्म तिथि	आरक्षण कोटि
1	2	3	4	5	6	
1	AIT/0022547	KHUSHBU KUMARI	SUBODH PD. SINGH	H. No. 45/1, Bagbera Colony, Road No. 06, Near- Budhawa Shiv Mandir, Po- Tata Nager TATANAGAR- (Jharkhand) 831002	01-Aug-94	BC
2	AIT/0042043	PANKAJ KUMAR	RAMKUMAR YADAD	Vill- Gamhariya,Po- Dobhi, Ps- Dobhi, Dist- Gaya. (Bihar) 824220	15-Mar-96	BC
3	AIT/0065143	DIVYA	MADHUSUDAN MISHRA	W/o- Dr. Santosh Kumar Tiwari, At- Braj Bhushan Sanskrit College, Kharkhura Dist- Gaya (Bihar) 823002	11-May-86	GEN
4	AIT/0049026	AKASH KUMAR	PRABHA SHANKAR PANDEY	Vill- Kochhiya Tiwari Pur, Po- Gaderiyapur, Dist- Sant Ravidas Nagar, Bhadohi (U.P), 221406	20-Jan-96	GEN
5	AIT/0023821	KAMLESH KUMAR	SATYA PRAKASH SINGH	Vill- TikaBigha, Po- Mocharim, PS- BodhGaya, Dist- Gaya (Bihar) 824231	12-Dec-82	BC
6	AIT/0008259	BHAGIRATH CHOUDHARY	SHEOJEE CHOUDHARY	Vill- Jamira, Po- Jamira, PS- Ara Muffasil, Dist- Bhojpur (Bihar) 802161	15-Jul-95	SC

लेखापाल–सह–आई0टी0 सहायक का निम्नवत् दायित्व होगा :–

1. सम्बद्ध ग्राम पंचायतो के अन्तर्गत वार्ड प्रबंधन एवं कार्यान्वयन समिति के लेखाओं का संधारण सुनिश्चित करना।
2. अभिलेखों का विधिसम्मत् संधारण सुनिश्चित कराना।
3. ग्राम पंचायत तथा वार्ड कार्यान्वयन एवं प्रबंधन समिति के स्तर पर रोकड़ बही का संधारण कराना।
4. ग्राम पंचायत तथा वार्ड कार्यान्वयन एवं प्रबंधन समिति के बैंक खातों का बैंक समाधान विवरणी तैयार कराना।
5. अंकेक्षण सम्पन्न कराना।
6. सभी पंचायतों का लेखा प्रबंधन सुनिश्चित कराना।
7. ई–पंचायत का प्रबंधन एवं लेखाओं का संधारण सुनिश्चित कराना।
8. जिला पंचायत राज पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, प्रखण्ड पंचायत राज पदाधिकारी एवं वरीय पदाधिकारी द्वारा समय–समय पर आवंटित किये गये अन्य कार्य दायित्वों का निर्वहन करना।

शर्तें :–

1. यह नियोजन दिनांक 31 मार्च 2020 तक मान्य होगा। आवश्यकता होने पर पंचायती राज विभाग से प्राप्त निदेश पर अवधि विस्तार किया जा सकेगा।

2. नियोजित लेखापाल–सह–आई0टी0 सहायक को सभी शैक्षणिक मूल प्रमाण–पत्र, स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र (सिविल सर्जन के स्तर से निर्गत), एकरानामा (परिशिष्ट–1) के साथ दिनांक 20.02.2020 तक जिला पंचायत राज कार्यालय, गया में योगदान समर्पित करना होगा। निर्धारित अवधि के पश्चात् योगदान स्वीकार नहीं किया जायेगा।

3. संविदा शर्त्तों के अनुसार अभ्यर्थियों द्वारा जिला पंचायत राज पदाधिकारी के साथ एकरारनामा करेंगे।

4. चयनित लेखापाल–सह–आई0टी0 सहायक को संविदा से हटाने का अधिकार जिला पंचायत राज पदाधिकारी को होगा।

5. जिला पंचायत राज पदाधिकारी के आदेश के विरूद्ध जिला पदाधिकारी के स्तर पर अपील किया जा सकेगा। जिला पदाधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।

6. मानदेय : इन कर्मियों को पंचायती राज विभाग द्वारा निर्धारित **मासिक मानदेय 20,000.00 (बीस हजार)** रूपये मात्र प्रतिमाह देय होगा।

7. नियोजित अभ्यर्थी को पंचायती राज विभाग, बिहार पटना के संकल्प संख्या–4046 / पं0रा0 पटना, दिनांक 25.07.2018 द्वारा निर्धारित मासिक मानदेय का भुगतान पदस्थापित पंचायत के सम्बद्ध प्रखण्ड कार्यालय द्वारा किया जायेगा।

8. मानदेय के आधार पर चयनित कर्मी न तो सरकारी सेवक माने जायेंगे और न ही सरकारी सेवकों को अनुमान्य किसी सुविधा के हकदार माने जायेंगे। मानदेय के आधार पर चयनित कर्मियों द्वारा सरकारी सेवा में नियमितिकरण का कोई दावा मान्य नहीं होगा।

9. मानदेय आधारित चयनित कर्मियों के चयन की अवधि समाप्ति के पूर्व यदि अवधि विस्तार नहीं होता है तो वैसी स्थिति में निर्धारित तिथि को उनका नियोजन स्वतः समाप्त माना जाएगा और इसके लिए अलग से कोई आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित नहीं होगा।

10. अनुबंध पर नियोजित कर्मियों को 03 माह में कम्प्यूटर दक्षता प्राप्त करनी होगी।

11. नियोजित कर्मियों के नियोजन से संबंधित भविष्य में किसी प्रकार का मामला प्रकाश में आता है एवं मामला जाँच में सही पाये जाने की स्थिति में उनकी संविदा रद्द कर दी जायेगी।

ह0 / –
जिला पदाधिकारी,
गया।

ज्ञापांक 204 / जि0पं0,गया, दिनांक 08 / 02 / 2020

प्रतिलिपिः– प्रधान सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपिः– आयुक्त, मगध प्रमण्डल, गया को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपिः– उप विकास आयुक्त, गया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपिः– जिला चयन समिति के सभी सदस्यों को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपिः– सिविल सर्जन गया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपिः– सभी प्रखण्डों के वरीय पदाधिकारी, गया जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपिः– जिला पंचायत राज पदाधिकारी, गया जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपिः– जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, गया को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि जिला के बेवसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
प्रतिलिपिः– कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण कार्य प्रमंडल (P.H.E.D.) गया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपिः– सभी अनुमण्डल पदाधिकारी, गया जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपिः– सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, गया जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपिः– सभी प्रखण्ड पंचायत राज पदाधिकारी, गया जिला को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपिः– सभी ग्राम पंचायत के मुखिया / सभी पंचायत सचिव, गया जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपिः– नाजिर, जिला पंचायत शाखा, गया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपिः– सभी नियोजित लेखापाल–सह–आई0टी0 सहायक को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

जिला पदाधिकारी,
गया।